रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 447] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 1973/पौष 7, 1895
No. 447] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 1973/PAUSA 7, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December 1973

S.O. 795(E).—Whereas the name of the State of Mysore has since been altered to Karnataka, *vide* the Mysore State (Alteration of Name) Act, 1973 (31 of 1973);

And whereas the Commission considers it necessary to correct the name of State wherever it occurs in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1966;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) in sub-section (1) of Section 9 of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission hereby makes amendments in the said Order as follows:—

(1) in the Table of Contents, *for* the entry "11-Mysore" *substitute* the entry "11-Karnataka";

(2) in Schedule XI, in the heading, *for* the word "Mysore" *substitute* the word "Karnataka"; and

(3) in the Annexure (pages 411 to 419) to the Order after Schedule XXIII, *for* the word "Mysore" *substitute* the word "Karnataka" wherever it occurs.

[No. 282/1/KK/73.]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर 1973

एस० ओ० 795 (अ).—यतः मैसूर राज्य का नाम मैसूर राज्य (नाम का परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31) द्वारा परिवर्तित कर कर्नाटक कर दिया गया है ;

और यतः आयोग संसदीय तथा सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 में जहां कहीं भी इस राज्य का नाम आया है उसमें संशोधन करना आवश्यक समझता है ;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

(1) विषय-सूची की सारणी में "11—मैसूर" प्रविष्टि के स्थान पर, "11—कर्नाटक" प्रविष्टि प्रतिस्थापित करें ;

(2) अनसूची 11 में शीर्षक में, "मैसूर" शब्द के स्थान पर "कर्नाटक" शब्द प्रतिस्थापित करें; तथा

(3) अनुसूची 23 के बाद आदेश के उपाबन्ध (पृष्ठ 411 से 419) में "मैसूर" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी यह नाम आता है, "कर्नाटक" शब्द प्रतिस्थापित करें ।

[सं० 282/1/कर्ना०/73]

आदेश से,

बी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973